निवेशकों की समस्याओं का समय से करना होगा निस्तारण

सभी विभागों को निवेशकों से करना होगा संपर्क, हर निवेशक के लिए अलग नोडल अधिकारी भी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 35 विभागों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के साथ 20 हजार से अधिक निवेश करार हुए हैं। इन करारों को धरातल पर उतारने के लिए औद्योगिक विकास विभाग की त्रिस्तरीय व्यवस्था में निवेशकों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करना होगा। सभी विभागों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को उनसे संबंधित निवेशकों से संपर्क कर निवेश सारथी पोर्टल पर प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन फॉर्म पर एक माह में प्रविष्टि देनी होगी। इस फॉर्म को लगातार अपडेट करना होगा। इसमें विभाग व प्राधिकरण की ओर से परियोजना को शुरू करने के लिए तैयार प्रोजेक्ट को टैग करना होगा।

सभी विभाग और प्राधिकरण शीर्ष दस निवेशकों के साथ विभाग के किसी अधिकारी को नोडल के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी को उस निवेशक के लिए एकल संपर्क व्यक्ति के रूप में काम करना होगा। इन्वेस्ट यूपी की ओर से मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत भी एक एकल संपर्क बिंदु आवंटित किया जाएगा।

इंसेंटिव और छूट के लिए ऑनलाइन सिस्टम : इनसेंटिव और छूट के लिए ऑनलाइन सिस्टम निवेशकों को निवेश नीति के अनुसार इनसेंटिव और छूट के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। सिस्टम के प्रभावी संचालन और समस्याओं के निस्तारण के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। वहीं, भूमि आवंटन के लिए निवेश सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रणाली तैयार की जाएगी।

यह है त्रिस्तरीय व्यवस्था

1. जिला स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई

डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई (एमआईयू) का गठन किया जाएगा। जिला उद्योग केंद्र को एमआईयू का सचिवालय बनाया जाएगा। निवेश सारथी पोर्टल पर जिला स्तरीय एमआईयू मैप के रूप में चिह्नित किए गए सभी एमओयू को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी जिला स्तरीय एमआईयू का होगा। एमआईयू को 15 दिन में एमओयू पर कार्यवाही का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। भूमि का विकल्प व एनओसी भी समयबद्ध उपलब्ध करानी होगी। मंडलायुक्त की ओर से 15 दिन के अंतराल पर एमआईयू के कामकाज की समीक्षा की जाएगी।

2. विभाग स्तरीय एमओयू कार्यान्वयन इकाई

सभी 35 विभागों में अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में विभागीय एमआईयू का गठन किया जाएगा। निवेश सारथी पोर्टल पर हुए एमओयू को धरातल पर उतारना होगा। विभागीय एमआईयू को 30 दिन में निवेशकों से संपर्क कर उनकी भूमि, विद्युत, जल संयोजन की आवश्यकताओं को प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन पर अंकित किया जाएगा। विभागीय एमआईयू की ओर से जिला स्तरीय एमआईयू से संपर्क कर भूमि आवंटन की सुविधा, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कराने में सहायता की जाएगी।

3. मॉनिटरिंग यूनिट का होगा गठन

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय एमओयू मॉनिटरिंग यूनिट (एमएमयू) का गठन किया जाएगा। एमएमयू से सभी विभागों व प्राधिकरणों के एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा होगी। निवेशकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

आठ सपोर्ट यूनिट का भी होगा गठन

इन्वेस्ट यूपी की ओर से आठ सपोर्ट यूनिट का गठन किया जाएगा। प्रत्येक सपोर्ट यूनिट में कुछ विभागों को शामिल किया जाएगा। यूनिट की ओर से विभागीय एमआईयू और जिला स्तरीय एमआईयू को भी सहायता दी जाएगी।

निस्तारण तंत्र विकसित होगा : निवेशकों के मामलों का निस्तारण करने के लिए निवेश सारथी पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी। इनको विभागीय एमआईयू और जिला स्तरीय एमआईयू की ओर से इन्वेस्ट यूपी की सपोर्ट यूनिट के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध निवेशकों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

नौ निवेशकों को मिली 39 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि

औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बांटे इनसेंटिव

लखनऊ। उप्र निवेशक सम्मेलन 2018 में निवेश करार करने के बाद उद्यम स्थापित कर उत्पादन शुरू करने वाले नौ उद्यमियों को मंगलवार को 39 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। पिकअप भवन में आयोजित इनसेंटिव वितरण कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि पिछली सरकारों में उद्यमियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था लेकिन योगी सरकार उद्यमियों को इनसेंटिव दे रही है। प्रदेश निवेशकों का हाथ थामकर विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर राज्य मंत्री औद्योगिक विकास जसवंत सिंह सैनी, एमडी पिकअप पीयूष वर्मा और उद्यमी मौजूद थे।

इन्हें दिया गया इनसेंटिव : यूएल इंडस्ट्रीज लि. जौनपुर के विष्णु प्रकाश पांडेय को 4.49 करोड़ रुपये, सुयष पेपर मिल्स बस्ती के मनोज सिंह को 2.33 करोड़, देव्यानी फुड इंडस्ट्रीज लि. मथुरा के अनुज गर्ग को 5.99 करोड़, विसाका इंडस्ट्रीज लि. रायबरेली के नवनीत राव को 7.31 करोड़, अमृत बॉटलर्स प्रा. लि. अयोध्या के सिद्धार्थ लधानी को 1.65 करोड़ व 2.18 करोड़ रुपये, वृंदावन एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लि. मथुरा के राजेश सबलोक को 13.58 करोड़, सीपी मिल्क फुड प्रोडक्टस प्रा. लि. बाराबंकी के अनुज अग्रवाल को 53.47 लाख और गंगा पल्प एंड पेपपर्स प्रा. लि. चंदौली के डीएस सिंह को 63.61 लाख रुपये इनसेंटिव दिया गया है। ब्यूरो